

पत्र संख्या-स्था01-20/2005

बिहार सरकार,  
वित्त विभाग ।

४७२२ दि०, (२)

पटना, दिनांक

४/७/०६

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत  
सभी राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी,

अभ्यावेदन/पत्र उचित माध्यम से विभाग में प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा विभाग में अपना अभ्यावेदन/पत्र सीधे भेज दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत परम्परा है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है । प्रत्येक कर्मियों का दायित्व है कि वे अपने किसी भी तरह के अभ्यावेदन/पत्र को अपने नियंत्री पदाधिकारी/उचित माध्यम से अनुशंसा के साथ ही भिजवाना चाहिए ।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से अधिनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों को एतद् संबंधी निदेश से अवगत करते हुए सचेत कर दें कि भविष्य में कभी भी वे सीधे पत्राचार नहीं किया करें ।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार चौधरी )  
सरकार के उप सचिव ।

३१७

५१  
१९/०७/०७  
रबी खंभिका  
स्थापका

४५  
१९/०७/०७  
विषय:-